(2)

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

मदनमोहन पुत्र सन्नू माली उम्र 48 साल जाति माली निवासी धनीराम सरपंच का पुरा, करौली तहसील व जिला करौली राज.

— अपीलार्थी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील करौली
2. राम प्रसाद पुत्र सन्नू उम्र 50 साल जाति माली निवासी धनीराम सरपंच का पुरा, करौली तहसील व जिला करौली राज.
3. धौलो वेवा सन्नू उम्र 70 साल धनीराम सरपंच का पुरा, करौली तहसील व जिला करौली राज. (फौत–नाम हजफ)

— प्रत्यर्थीगण

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 08.07.1993 तहसीलदार तहसील करौली जिसकी रूह से नामांतरकरण संख्या 753 कस्बा करौली पटवार हल्का 8 करौली स्वीकार किया गया है–के विरुद्ध

निर्णय

दिनांक 22.02.2021

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम धनीराम सरपंच का पुरा, पटवार हल्का कस्बा करौली 8, तहसील व जिला करौली के नामांतरकरण संख्या 753 दिनांक 08.07.1993 में अपीलार्थी का नाम मदनमोहन के स्थान पर मनमोहन दर्ज होने के कारण उक्त नामांतरकरण में अपीलार्थी का नाम संशोधन करने का निवेदन किया गया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करौली का निर्णय दिनांक 08.07.1993 बाबत् नामांतरकरण संख्या 753 ग्राम धनीराम सरपंचत का पुरा, पटवार हल्का कस्बा करौली 8, तहसील व जिला करौली रूहेदाद मिसल, पूर्णतया आरविट्रेरी, खिलाफे कानून है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करौली ने जैर अपील निर्णय दिनांक 08.07.1993 बाबत् नामांतरकरण संख्या 753 कस्बा करौली 8 पारित करने से पूर्व नामांतरकरण में मृतक सन्नू की विरासत का सजरा मृतक के वारिसान–रामप्रसाद, मदनमोहन एवं बेवा धौलो सही दर्शाते हुए नामांतरकरण फार्म के कॉलम नंबर 9 में अपीलाण्ट मदनमोहन के बजाये मनमोहन गलत तौर पर दर्ज कर दिया है जबकि पटवारी हल्का द्वारा विरासत नामांतरकरा में सन्नू मृतक एवं मृतक शंकर के वारिसान का सजरा जो अंकित किया गया है, उसमें स्पष्ट तौर पर सन्नू के वारिसान –रामप्रसाद, मदनमोहन, बेवा धौलो अंकित किया गया है जिस पर कोई गौर किये वगैर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय देते समय मदनमोहन के स्थान पर गलत तौर पर लिपिकीय भूलवश नाम मनमोहन दर्ज कर दिया गया है जबकि अपीलाण्ट के पिता मृतक सन्नू के मनमोहन नाम की कोई वारिस संतान नहीं होते हुए भी मदनमोहन के बजाये मनमोहन दर्ज कर दिया गया है जबकि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम मदनमोहन पुत्र सन्नू है और अपीलाण्ट के शैक्षणित दस्तावेज एवं आधार कार्ड व राशन कार्ड में भी मदनमोहन पुत्र सन्नू दर्ज है जिनकी छायाप्रतियां अपील के साथ प्रस्तुत की हैं। इसलिये उक्त जैर अपील नामांतरकरण दिनांक 08.07.1993 अपास्त किया जाकर नामांतरकरण संख्या 753 में गलत दर्ज नाम मनमोहन के स्थान पर प्रार्थी अपीलाण्ट का नाम मदनमोहन दर्ज करवाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। मैं अपीलाण्ट मृतक सन्नू का मदनमोहन पुत्र संतान हूं। मनमोहन नाम कर कोई पुत्र संतान नहीं हैं। मुझ अपीलार्थी को दिनांक 23.09.2020 को कम्प्यूटर रिकॉर्ड से जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर एवं हल्का पटवारी से नकल जमाबंदी की पूछने पर उसी दिन नामांतरकरण संख्या 753 की नकल हेतु आवेदन करने पर दिनांक 09.10.2020 को

जिला कलक्टर
करौली

नकल प्राप्त होने पर हुई है। इसलिये दिनांक 08.07.1993 से जानकारी व नकल प्राप्ति दिनांक 09.10.2020 तक की अवधि जानकारी के अभाव में कण्डौन किये जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है। (3)

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पत्रांक–एल.आर./2021/81 दिनांक 05.01.2021 से अवगत करवाया है कि ग्राम करौली, पटवार हल्का करौली–8, तहसील करौली में नामांतरकरण संख्या 753 तत्समय शंकर के फौत होने पर भरा गया था जिसमें शंकर का पुत्र सन्नू भी फौत हो गया था। सन्नू के वारिसान का सजरा नामांतरकरण पुश्त पर बना हुआ है जिसमें उसके वारिस रामप्रसाद, मदनमोहन व बेवा धौलो अंकित हैं परंतु नामांतरकरण की कॉलम संख्या 9 में मदनमोहन के स्थान पर मनमोहदन दर्ज है। इसी अनुसार तत्समय तहसीलदार द्वारा नामांतरकरण फैसल कर दिया गया। मदनमोहन के नाम की जांच करने पर उसके परिवार वालों से पूछताछ की गई तो उन्होंने मदनमोहन पुत्र सन्नू होना बताया, मनमोहन नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। साक्ष्य हेतु राशनकार्ड की छायाप्रति पेश की जिसमें भी मदनमोहन नाम अंकित है।

प्रत्यर्थी संख्या 2 ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश करते हुए निवेदन किया है कि अदालत मातहत ने नामांतरकरण खोलते समय सजरा में अपीलाण्ट व जवाबदार रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 के पिता सन्नू की मृत्यु के बाद सजरा में सन्नू के वारिसान रामप्रसाद, मदनमोहन व उसकी विधवा धोलो का सही दर्शाया गया था लेकिन नीचे मेरे भाई अपीलाण्ट का सही नाम मदनमोहन नहीं दर्शाकर मनमोहन दर्ज कर दिया था जबकि मेरे पिता सन्नू के मनमोहन नाम का कोई पुत्र ही नहीं है। सन्नू के सिर्फ रामप्रसाद व मदनमोहन नाम के दो ही पुत्र थे व अब भी हैं। राजस्व रिकॉर्ड में मनमोहन का गलत अंकन किया है। इसलिये नामांतरकरण संख्या 753 में अपीलाण्ट का नाम मनमोहन के स्थान पर मदनमोहन दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

प्रत्यर्थी संख्या 3 का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस पूर्व से ही रिकॉर्ड पर होने के कारण प्रत्यर्थी संख्या 3 का नाम हजफ किया गया।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, राशनकार्ड, कक्षा 5 की अंकतालिका में अपीलार्थी का नाम मदनमोहन पुत्र सन्नू जाति माली दर्ज है। तहसीलदार करौली ने भी सन्नू पुत्र शंकर जाति माली के वारिसान रामप्रसाद, मदनमोहन व बेवा धौलो होना बताया है। इनके अलावा किसी अन्य वारिस का नहीं होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का वास्तविक नाम मदनमोहन होना विदित होता है एवं नामांतरकरण संख्या 753 ग्राम धनीराम सरपंच का पुरा, पटवार हल्का कस्बा करौली–8, तहसील व जिला करौली में अपीलार्थी का नाम मनमोहन गलत दर्ज होना विदित होता है जिसे संशोधित किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील, अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार करौली द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 753 ग्राम धनीराम सरपंच का पुरा, पटवार हल्का कस्बा करौली–8, तहसील व जिला करौली में अंकित मनमोहन पुत्र सन्नू जाति माली की हद तक निरस्त किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार करौली को निर्देशित किया जाता है कि नामांतरकरण संख्या 753 ग्राम धनीराम सरपंच का पुरा, पटवार हल्का कस्बा करौली–8 से संबंधित खसरा नंबरान में अपीलार्थी का नाम मनमोहन पुत्र सन्नू जाति माली के स्थान पर मदनमोहन पुत्र सन्नू जाति माली दर्ज कर पुनः नामांतरकरण आदेश पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली